

फर्द अहकाम

गिरधारी बनाम बाबुराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 57/15

प. नं.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
12/2/18		तकीलु प्रार्थी उपरोक्त कदम लेने समय चाहे ही पत्रावली कदम लेने दिनांक 21/2/18 को पेश हो।
21/2/18		तकीलु प्रार्थी उपरोक्त कदम लेने समय चाहे ही पत्रावली कदम लेने दिनांक 27/3/18 को पेश हो।
27/3/18		तकीलु प्रार्थी उपरोक्त कदम लेने समय चाहे ही पत्रावली कदम लेने दिनांक 08/5/18 को पेश हो।
08/5/18		प्रसाइडिंग कार्यालय पर है। दिनांक 27/6/18 को पेश हो।
27/6/18		आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कदम कोर्ट ग्राम चौकलाइ में पेश हुई। तकीलु प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुनने बाद घोषणा हुई कि इन्द्राजल व अर्थाई निषेधाज्ञा का ही सुनने बाद तकीलु में अंतरकार ही प्रकरण अचरितम अर्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है प्रकरण में अब न्यायालय अचरितम में अर्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है अब प्रकरण में अर्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से बाद का दुलता कदम का अदवा रखा है प्रकरण में सुनने बाद में न्याय उतरफत गुणावगुण व सीरिट पर निर्णय किया जाना है अतः उपरोक्त निषेध अचरितम अर्थाई निषेधाज्ञा रखा है किमा अर्थाई पत्रावली कदम सुनाया गया है अतः न्याय को कदम तवा सुनने कदम के साथ रहे।

पार्थ
मि

